



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP02423187426161V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP02423187426161V
 : 01-Sep-2023 11:28 AM
 : NEWIMPACC (SV) / up14238304/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN
 : SUBIN-UPUP1423830400433876885207V
 : KANTI SEWA SANSTHAN
 : Article 4 Affidavit
 : Not Applicable
 :
 : KANTI SEWA SANSTHAN
 : Not Applicable
 : KANTI SEWA SANSTHAN
 : 100
 : (One Hundred only)



Please write or type below this line

Statutory Alert:

- The digital Non-Judicial e-Sign certificate should be verified at www.e-signatureinquiry.com or using e-Gharo Mobile App of State Helpline.
- The e-Stamp is valid only on the terms of the certificate.
- In case of any discrepancy, inform the Government Authority.

(प्रारूप-“अ”)

शत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मरी संरथाओं की सोराइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और शविव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

कान्ती शिंह नैना शिंह हम (नाम अध्यक्ष) एवं (नाम राधिका) कमशः अध्यक्ष एवं
सचिव (सोसाझूटी/द्रुस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् वयान
करते हैं - दस्तावेज संग्रहीत उपर्युक्त दस्तावेज द्वारा आकृतिलाभ ३५ पान- ॥ १८ पृष्ठी

1. यह कि हमारी रोसाइटी/द्रुट द्वारा विनियोग स्थानों का विज्ञालय पता) एक डिपार्टमेंट नामक डिप्लोमा इन फार्मरी संस्थान की रशापना रात्र 2023-24. से किया जाना विस्तृत अधिकारी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित है।

कठी ऐवा मंस्पति सातपुर
कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम (पता जहां पर भूमि स्थित है) **देलिपथुर** विकास
नं ५१ संख्या ५२३ एवं ५२४ रकवा कमशः ०.१९६० हेक्टेयर भूमि है।
एवं ०.१५१० हेक्टेयर (कल रकवा १.४५३ हेक्टेयर) भूमि है।

- वह के उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी घाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के रांथालन हेतु भवनों का निर्माण अग्रामोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/द्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्ताव किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मर्सी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मर्सी संरक्षण का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह यहि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राधिकारिक शिक्षा परिषद् रो सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शर्तों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि य इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 सखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त निरी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/गणविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्य में कभी किया गया है, और न ही नविय में कभी किया जायेगा।

कि, संरक्षण के संचालन हेतु आवश्यक बलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कारोबारिलालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक विभाग द्वारा जारी होने वाली अधिकारी के भवन सभर ही सम्पर्कित किया जायेगा।

11. यह कि, सरथा के संचालन हेतु आयश्यक शैक्षिक एवं अर्थशिक स्टाफ की तैनाती सत्रावधी/टरस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि गरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे गान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलक्षण परिपद हारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

१०८५ अंडा (Egg)

कान्ती शिव
ह० अव्याख नाम

ATTESTED